सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना

पी.एम.एम.एस.वाई के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय संबंधी

दिशा-निर्देश

भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग

सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना

पी.एम.एम.एस.वाई के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय संबंधी

दिशा-निर्देश

भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

अक्टूबर, 2020

मुद्रकः
मै. रॉयल ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए–89/1, नारायणा इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस–1, नई दिल्ली–110028

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई) के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय के लिए दिशानिर्देश और लागत मानदंड

1. प्रस्तावना

1.1 प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई) में यह प्रावधान किया गया है कि पी.एम.एम.एस.वाई के अन्तर्गत वार्षिक बजटीय आवंटन का 2.5 प्रतिशत केंद्रीय हिस्सा मत्स्यपालन विभाग (डी.ओ.एफ) राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एन.एफ.डी.बी) और एण्ड कार्यान्वयन एजेंसियों (ई.आई.ए) पी.एम.एम.एस.वाई (केंद्रीय क्षेत्र तथा केंद्रीय प्रायोजित योजना दोनों) के द्वारा कार्यान्वयन, निगरानी, मूल्यांकन और समीक्षा के लिए प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई) में यह प्रावधान किया गया है कि मत्स्यपालन विभाग पी.एम.एम.एस.वाई की केन्द्रीय शीर्ष समिति (सी.ए.सी) की सिफारिश के आधार पर, प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत उतनी निधियां विहित करेगा जितनी निधियां राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एन.एफ.डी.बी) तथा एण्ड कार्यान्वयन एजेंजियों (ई.आई.ए) को जारी की जा सकेगी।

1.2 प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई) में यह प्रावधान किया गया है कि मत्स्यपालन विभाग प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत व्यय करने के लिए लागत मानदंड सहित तौर–तरीकों तथा दिशानिर्देशों को तय करने के लिए सक्षम प्राधिककरण होगा। इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड में परियोजना मूल्यांकन समिति (पी.ए.सी) इकाई (पी.एम.यू) मत्स्यपालन विभाग में केंद्रीय स्थायी समिति (सी.एस.सी), (सी.ए.सी) तथा कार्यक्रम निगरानी और मूल्यांकन समिति (पी.एम.ई.यू) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्य कार्यक्रम इकाई (एस.पी.यू) तथा जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम इकाई (डी.पी.यू) की स्थापना तथा संचालन के तौर–तरीके, दिशानिर्देश तथा लागत मानदंड शामिल हैं। जिसमें उप जिला स्तर पर आवश्यक संस्थागत प्रबंध/संरचना भी शामिल है।

2. व्यापक स्वीकार्य गतिविधियां

2.1 मत्स्यपालन विभाग में सी.एस.सी, सी.ए.सी तथा पी.एम.ई.यू, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड में पी.ए.सी तथा पी.एम.यू, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर एस.पी.यू, जिला स्तर पर डी.पी.यू तथा उप–जिला स्तर पर आवश्यकता के आधार पर संस्थागत प्रबंध/अवसंरचना के लिए न्यूनतम जनशक्ति का नियुक्त किया जाना जिसमें कार्यालय व्यय और भत्ता आदि शामिल है।

2.2 ऊपर 2.1 में उल्लिखित संस्थागत/अवसंरचनाओं की स्थापना, परिचालन और दैनिक कार्यक्रम के लिए फर्नीचर/फिक्स्चर, कंप्यूटर/लैपटॉप, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर आदि जैसी न्यूनतम अवसंरचना की खरीद।

2.3 मत्स्यपालन विभाग द्वारा यथा निर्धारित ऊपर 2.1 में उल्लिखित संस्थागत प्रबंध/संरचना के लिए कोई अन्य आवश्यकता आधारित सहायता/सेवा।

2.4 सूचना शिक्षा संचार (आई.ई.सी) संबंधी गतिविधियां जिनमें इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट सामग्री सहित सूचना शिक्षा संचार संबंधी सामग्री की तैयारी भी शामिल है।

2.5 आवश्यक हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर के साथ अपेक्षित प्रबंध सूचना प्रणाली की तैयारी और इसका प्रचालन।

2.6 मत्स्यपालन विभाग में पी.एम.एम.एस.वाई के ऑनलाइन पोर्टल की डिजाइन, विकास और प्रचालन।

2.7 इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और प्रिंट मीडिया के माध्यम से पी.एम.एम.एस.वाई की गतिविधयों का प्रचार और प्रसार करना तथा बढ़ावा देना।

2.8 परियोजना/कार्यक्रम प्रबंधन परामर्शदाताओं/सलाहकारों (पी.एम.सी/पी.एम.ए) तथा ज्ञान संपन्न भागीदारों का नियुक्त किया जाना।

2.9 सेमिनार, कार्यशालाओं, बैठकों, शिखर/सम्मेलन (क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा एण्डर्राष्ट्रीय), सरकारी बैठकों आदि का आयोजन करना।

2.10 मछली किसानों और मत्स्यपालन सहकारी बैठकों का आयोजन करना।

2.11 पी.एम.एम.एस.वाई का मूल्यांकन करना।

2.12 वाहनों का किराये पर लिया जाना।

2.13 पी.एम.एम.एस.वाई से संबंधित यथा आवश्यक दिशानिर्देशों, प्रकाशनों, मानक प्रचालन प्रक्रियां और अन्य दस्तावेजों की डिजाइन और मुद्रण।

2.14 तृतीय पक्षकर/स्वतंत्र एजेंसी/वैयक्तिक डोमॅन विशेषज्ञों के माध्यम से पी.एम.एम.एस.वाई का यथा अपेक्षित आवधिक मूल्यांकन (मध्य कालिक) तथा पोस्ट कार्यान्वयन मूल्यांकन (अन्त कालिक)।

2.15 गुणवत्ता, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से मत्स्य क्षेत्र के गुणवत्ता नियंत्रण और विनियमन का समर्थन करने के लिए गतिविधियाँ

2.16 मत्स्यपालन विभाग में संविदा के आधार पर अधिकार क्षेत्र विशेषज्ञों तथा सहायक अधिकारियों/कर्मचारियों का नियुक्त करना।

2.17 पंचवर्षीय भावी योजना वार्षिक योजना का तैयार किया जाना और अपने मात्स्यिकी विजन दस्तावेज, वार्षिक योजनाएं जिला मत्स्यपालन योजनाएं तैयार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मदद करना।

2.18 पुरस्कार तथा समारोह सहित मत्स्य किसान दिवस (एफ.एफ.डी), विश्व मात्स्यिकी दिवस या ऐसा कोई अन्य कार्यक्रम जैसी गतिविधियों का आयोजन करना।

2.19 कोई ऐसी अन्य गतिविधियों पी.एम.एम.एस.वाई के संचालन और सुधार रूप से आवश्यक हो सकती है।

3. निधियन पद्धति

3.1 प्रशासनिक खर्चों का उप–घटक पी.एम.एम.एस.वाई के केंद्रीय क्षेत्र योजना घटक के एण्डर्गत शामिल है। पी.एम.एम.एस.वाई के केंद्रीय क्षेत्र घटक में सीएस घटक के अन्तर्गत परिकल्पित गतिविधियों के लिए 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है

3.2 पैरा–5 में उल्लिखित सीमा के साथ पैरा–2 में उल्लिखित गतिविधियों की पूरी लागत मत्स्य विभाग, मत्स्य मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी, भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

3.3 पैरा–5 में उल्लिखित सीमा के साथ पैरा–2 में उल्लिखित स्वीकार्य गतिविधियों को आरंभ करने के लिए एण्ड कार्यान्वयन एजेंसियां शत–प्रतिशत केन्द्रीय निधियन सहयोग प्राप्त करने की पात्र होंगी।

4. एण्ड कार्यान्वयन एजेंसियां (ई.आई.ए)

4.1 उपर्युक्त पैरा–2 में उल्लिखित गतिविधियाँ निम्नलिखित एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएंगी :

(i) राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एन.एफ.डी.बी) सहित केंद्रीय सरकार और उसकी संस्थाएँ।

(ii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और उनकी संस्थाएँ

(iii) राज्य मात्स्यिकी विकास बोर्ड

(iv) कोई अन्य एण्ड कार्यान्वयन एजेंसियां जिसका निर्धारण मत्स्यपालन विभाग द्वारा किया जाए।

5. वित्तीय सहायता की राशि

5.1 पी.एम.एम.एस.वाई के प्रशासनिक खर्चों के अन्तर्गत प्रत्येक गतिविधि से संबंधित स्वीकार्य वित्तीय सहायता और इसकी संगत सीमा का विवरण नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत किया गया है:

क्रम सं.	गतिविधियाँ / उप गतिविधियों	निबंधन और शर्तें
(i)	(ii)	(iii)
1	न्यूनतम जनशक्ति का नियुक्त किया जाना	
1.1	मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार में केंद्रीय स्थायी समिति (सी.एस.सी) केंद्रीय शीर्ष समिति (सी.ए.सी) और पी.एम.ई.यू के लिए	i. डाटा एंट्री ऑपरेटर्स (डी–ई–ओ)/आशुलिपिक, मल्टी टास्किंग स्टाफ (एम–टी–एस) जैसे आवश्यकता आधारित सहायक कर्मचारियों को उक्त समितियों की मदद करने और सचिवालयीय सहायता प्रदान करने के लि, नियुक्त किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए 5 वर्ष (2020–21 से 2024–25) की अवधि के लिए एक मुश्त 200 लाख रुपये रखे जाने का प्रावधान किया गया है। ii. जनशक्ति की सेवाएं नितांत रूप से अनुबंध के आधार पर होगी। iii. जनशक्ति की सेवाएं उपयुक्त आउटसोर्सिंग एजेंसियों/जनशक्ति आपूर्ति एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी। iv. रखी गई जनशक्ति को आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से समेकित मासिक परिलब्धियाँ प्रदान की जाएंगी और व्यक्तिगत रूप से वेतन/परिलब्धि का कोई सीधा भुगतान मत्स्यपालन विभाग द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। v. मत्स्यपालन विभाग सेवा प्रदान करने वाली एजेंसी से जुड़े कर्मियों का समेकित मासिक वेतन प्रदान करेगा और मत्स्यपालन विभाग व्यक्तियों को भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। vi. पी.एम.एम.एस.वाई योजना के अन्तर्गत जनशक्ति की नियुक्ति पी.एम.एम.एस.वाई योजना अवधि के साथ सह–टर्मिनस होगी। vii. पी.एम.एम.एस.वाई के अन्तर्गत संविदा के आधार पर कर्मियों की नियुक्ति, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार या इसके किसी भी अधीनस्थ संस्थानों/संगठनों में उनकी सेवाओं के नियमितीकरण या जारी रखने के लिए कोई अधिकार या दावा प्रदान नहीं करेगी। viii. पी.एम.एम.एस.वाई कार्यान्वयन अवधि के दौरान संविदात्मक जनशक्ति की नियुक्ति तथा उनकी सेवाओं को जारी रखा जाना उनके संतोषप्रद कार्य निष्पादन के अधीन होगा और मत्स्यपालन विभाग द्वारा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय उनकी संवाएं समाप्त कर सकेगा।
1.2	राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एन.एफ.डी.बी) में पी.ए.सी और पी.एम.यू के लिए	i. राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एन.एफ.डी.बी) अनुबंध के आधार पर न्यूनतम आवश्यकता आधारित सहायक कर्मचारियों को अनुबंध के आधार पर पूरी तरह से नियुक्त करेगा, जो कि क्रम संख्या 1.1 में उल्लिखित निबंधन–शर्तों की तर्ज पर होगी। ii. इसके व्यय को प्रशासनिक खर्चों के अन्तर्गत प्रदान की गई एकमुश्त निधि से पूरा किया जाएगा.

क्रम सं.	गतिविधियाँ / उप गतिविधियों	निबंधन और शर्तें
1.3	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्य कार्यक्रम इकाइयों (एस.पी.यू) और जिला कार्यक्रम इकाइयों (डी.पी.यू) के लिए	i. राज्य कार्यक्रम इकाई (एसपीयू), जिला कार्यक्रम इकाई (डीपीयू) और उप–जिला स्तरीय संस्थागत व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए विस्तृत नामावली, जनशक्ति का वेतन पारिश्रमिक, और भूमिकाएं और जिम्मेदारियों आदि का विवरण। इन दिशानिर्देशों के **परिशिष्ट–1** में दिया गया है। ii. राज्य कार्यक्रम इकाई (एस.पी.यू)/संघ राज्य क्षेत्र कार्यक्रम (यू.टी.पी.यू), जिला कार्यक्रम इकाई (डी.पी.यू) और उप–जिला स्तर पर संस्थागत व्यवस्था के संचालन के लिए राज्योंध्संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संविदात्मक जनशक्ति की नियुक्ति किए जाने की पात्रता और अर्हता विवरण पी.एम.एम.एस.वाई के अन्तर्गत मासिक कार्यालय व्यय भी शामिल है, जिसका उल्लेख इन दिशानिर्देशों के **परिशिष्ट–2** में किया गया है। iii. इस परियोजना में पांच वर्ष (2020–21 से 2024–25) की अवधि के लिए **कुल 91 करोड़** रुपये का सांकेतिक निवेश रखा गया हैं।
2.	**फर्नीचर/फिक्स्चर, कंप्यूटर/लैपटॉप, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर आदि का खरीदा जाना**	
2.1	पी.एम.एम.एस.वाई के कार्यान्वयन के लिए मत्स्यपालन विभाग में पी.एम.एम.एस.वाई सेल	i. जरूरत के आधार पर कार्यालय फर्नीचर/फिक्स्चर, आईटी अवसंरचना जैसे कंप्यूटर/लैपटॉप, प्रिंटर, फोटोकॉपियर और सॉफ्टवेयर आदि की खरीद प्रचलित वित्तीय नियमों/जी.एफ.आर/खरीद प्रक्रियाओं आदि के अनुसार की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए 5 वर्ष (2020–21 से 2020–24) की अवधि के लिए **200 लाख रुपये** एकमुश्त राशि रखी गई है।
2.2	राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एन.एफ.डी.बी) में पी.ए.सी और पी.एम.यू के लिए सुविधाओं के सृजन सहित पी.एम.एम.एस.वाई के कार्यान्वयन के लिए	i. राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एन.एफ.डी.बी) मौजूदा खरीद प्रक्रियाओं और वित्तीय नियम/जी.एफ.आर का पालन करेगा ताकि प्रशासनिक खर्चों के लिए एन.एफ.डी.बी को प्रदान की गई धनराशि से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की जा सके।
2.3	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर एस.पी.यू और डी.पी.यू के लिए.	i. डी.पी.आर के लिए प्रत्येक संभावित जिले और प्रत्येक एस.पी.यू/यू.टी.एस.पी.यू के लिए **3 लाख रुपये** का एक बारगी एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र से अपेक्षित है कि वह अनुमानित लागत सहित स्व–निहित प्रस्ताव प्रस्तुत करें। ii. आधिप्राप्त गई ऐसी सुविधाओं के रखरखाव की लागत की शर्तें एस.पी.यू/डी.पी.यू को दिए गए मासिक खर्चों से की जाएगी जिसका उल्लेख इन दिशानिर्देशों के **परिशिष्ट–I** में किया गया है। iii. राज्यध्संघ राज्य क्षेत्र अपने संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खरीद प्रक्रिया के अनुसार उपकरण खरीदेंगे। iv. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उचित खाते रखेंगे और मत्स्यपालन विभाग द्वारा जब और जैसे अपेक्षित होंगे, विवरण प्रस्तुत करेंगे।

क्रम सं.	गतिविधियाँ / उप गतिविधियों		निबंधन और शर्तें
3.	सूचना शिक्षा संचार (आई.ई.सी) गतिविधियों और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट सामग्री सहित आईईसी सामग्री की तैयारी के लिए।		
3.1	मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार	i.	निधियों को ध्यान में रखते हुए, आई.ई.सी गतिविधियों के लिए 5 वर्षों की अवधि के लिए एक मुश्त **500 लाख रुपये** की राशि रखी गई है जिसे सी.ए.सी के अनुमोदन के साथ जब और जैसी अपेक्षा होगी बढ़ाया जा सकता है।
3.2	राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एन.एफ.डी.बी), हैदराबाद	i.	एनएफडीबी को एक मुश्त राशि प्रदान की जाएगी जो 5 वर्ष की अवधि के लिए पी.एम.एम.एस.वाई के तहत आई.ई.सी गतिविधियों के लिए **100 लाख** होगी।
3.3	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	i.	अपने–अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आई.ई.सी गतिविधियां संचालित करनेके लिए प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य को **4 लाख रूपये** तथा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र को **2 लाख रूपये** का वार्षिक अनुदान दिया जाएगा।
		ii.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उचित खाते रखेंगे और मत्स्यपालन विभाग द्वारा जब और जैसे अपेक्षित होंगे, विवरण प्रस्तुत करेंगे।
4.	आवश्यक हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर और इसके संचालन के साथ आवश्यक एम.आई.एस की तैयारी		
4.1	मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार	i.	इस प्रयोजन के लिए जो खर्च होगा वह वास्तविकता के आधार पर होगा। तथापि, इस प्रयोजन के लिए अनन्तिम निवेश **500 लाख रुपये** रखा गया हैं।
4.2	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	i.	यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक राज्यध्संघ राज्य क्षेत्र को **4 लाख रुपये** का समेकित एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जाएगा ताकि आवश्यकता के अनुसार पी.एम.एम.एस.वाई पोर्टल, मत्स्यपालन विभाग के एम.आई.एस के और डी.बी.टी पोर्टल के साथ अपने एम.आई.एस को एकीकृत किया जा सके।
5.	मत्स्यपालन विभाग में ऑनलाइन पी.एम.एम.एस.वाई पोर्टल की डिजाइन, विकास और संचालन		
5.1	मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार	i.	इस प्रयोजन के लिए जो खर्च होगा वह वास्तविकता के आधार पर होगा। तथापि, इस प्रयोजन के लिए **500 लाख रुपये** की अनन्तिम निधि रखी गई हैं।
6.	इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और प्रिंट मीडिया आदि के माध्यम से पी.एम.एम.एस.वाई के लिए प्रचार और प्रचार संबंधी गतिविधियाँ।		
6.1	मत्स्य पालन विभाग (मत्स्यपालन विभाग), मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार	i.	जागरूकता और बढ़ावा देने संबंधी गतिविधियों का खर्च मत्स्यपालन विभाग द्वारा वास्तविकताओं के आधार पर पूरा किया जाएगा। तथापि इस प्रयोजन के लिए **प्रति वर्ष 500 लाख रुपये** की अनन्तिम निधि रखी गई है।
		ii.	इसके अलावा, मत्स्यपालन विभाग अपेक्षित जागरूकता और बढ़ावा देने संबंधी गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को आवश्यक निधि भी प्रदान कर सकता है।

क्रम सं.	गतिविधियाँ / उप गतिविधियों	निबंधन और शर्तें
6.2	राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य ई.आई.ए	i. पी.एम.एम.एस.वाई से संबंधित प्रचार और प्रसार को बढ़ावा देने संबंधी गतिविधियों के संचालन के लिए प्रत्येक राज्य को **500 लाख रूपये प्रति वर्ष**, तथा **प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र/अन्य इ.आई.ए को 2 लाख रूपये** की एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी। ii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जाने वाली प्रचार और प्रचार संबंधी गतिविधियां मोटे तौर पर पी.एम.एम.एस.वाई के दायरे में आनी चाहिए।
7.	**परियोजना / कार्यक्रम प्रबंधन कंसल्टेंट्स / सलाहकार (पीएमसी / पीएमए) और नॉलेज पार्टनर्स का नियुक्त किया जाना**	
7.1	मत्स्यपालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार	i. परियोजना/कार्यक्रम प्रबंधन कैसलैंटट्स/सलाहकार (पी.एम.सी/पी.एम.ए) और नॉलेज पार्टनर्स का नियुक्त किए जाने संबंधी खर्च को मत्स्यपालन विभाग द्वारा वास्तविकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। ii. इसके अतिरिक्त, परियोजना/कार्यक्रम प्रबंधन केसल्टेट्स/सलाहकार (पी.एम.सी/पी.एम.ए) और नॉलेज पार्टनर्स को नियुक्त किए जाने के लिए मत्स्यपालन विभाग राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को आवश्यक निधियां भी प्रदान की जा सकती है। iii. तथापि, कुल बजट 5 वर्ष की अवधि के लिए (2020–21 से 2024–25) इस प्रयोजन के लिए कुल **20 करोड़ रुपये** रखे गए हैं।
8.	**सेमिनार, कार्यशालाएं, बैठकें, शिखर सम्मेलन/सम्मेलन (क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और एण्डर्राष्ट्रीय), आधिकारिक बैठकें आयोजित करना, जिसमें मछली किसानों और मत्स्य सहकारी समितियों की बैठकें आदि शामिल हैं।**	
8.1	मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार	i. सेमिनार, कार्यशालाएं, बैठकें, शिखर सम्मेलन/सम्मेलन (क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और एण्डर्राष्ट्रीय), आधिकारिक बैंठके आदि की लागत को वास्तविकताओं के आधार पर मत्स्यपालन विभाग द्वारा पूरा किया जाएगा। ii. मत्स्यपालन विभाग एन.एफ.डी.बी को जरूरत आधारित संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, बैठकों, शिखर सम्मेलनों/सम्मेलनों (क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और एण्डर्राष्ट्रीय), आधिकारिक बैठकों आदि के लिए आवश्यक निधियां भी प्रदान की जा सकती है। iii. इस प्रयोजन के लिए 5 वर्ष (2020–21 से 2024–25) की अवधि के लिए **25 करोड़ रुपये** का बजटीय प्रावधान रखा गया हैं।
8.2	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और अन्य एण्ड कार्यान्वयन एजेंसियां	i. आवश्यकता आधारित संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, बैठकों, शिखर सम्मेलनों/सम्मेलनों, आधिकारिक बैठकों आदि के आयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को 5 लाख रूपये तथा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र/अन्य एण्ड कार्यान्वयन एजेंसियों को 2.50 लाख रूपये प्रति वर्ष एकमुश्त केन्द्रीय अनुदान दिया जाएगा। ii. सेमिनार, कार्यशालाएं, बैठकें, शिखर सम्मेलन/सम्मेलन आदि की थीम को मोटे तौर पर पी.एम.एम.एस.वाई प्रयोजन के दायरे में आना चाहिए और पी.एम.एम.एस.वाई का प्रचार–प्रसार भी करना चाहिए। iii. इस उद्देश्य के लिए 5 वर्ष (2020–21 से 2024–25) की अवधि के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट रखा गया हैं।

क्रम सं.	गतिविधियाँ / उप गतिविधियों	निबंधन और शर्तें
8.3	मत्स्यपालन विभाग / राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड द्वारा प्रायोजित	i. मत्स्यपालन विभाग जरूरत आधारित संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, बैठकों, शिखर सम्मेलनों/(क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और एण्डर्राष्ट्रीय), बैठकों और किसी भी अन्य किसान उन्मुख कार्यक्रमों आदि के आयोजन के लिए प्रायोजित करेगा। ii. मत्स्यपालन विभाग एन.एफ.डी.बी को समेकित धनराशि वार्षिक आधार पर सेमिनार, कार्यशाला, बैठक, शिखर सम्मेलन/सम्मेलन (क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और एण्डर्राष्ट्रीय), बैठकों और किसी भी अन्य किसान उन्मुख कार्यक्रमों को आवश्यकता के आधार पर प्रायोजित कर सकता है जो निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। iii. प्रत्येक कार्यक्रम/गतिविधि की अधिकतम लागत **10 लाख रूपये प्रति** कार्यक्रम होगी। मत्स्यपालन विभाग मामला–दर–मामला के आधार पर कार्यक्रम/गतिविधि की लागत को कम कर सकता है जो कार्यक्रम के आकार तथा महत्व पर निर्भर करेगा। iv. उपर्युक्त कार्यक्रम/गतिविधियों के मुख्य विषयों को मोटे तौर पर पी.एम. एम.एस.वाई के दायरे में आना चाहिए। v. इस प्रयोजन के लिए 5 वर्ष (2020–21 से 2024–25) की अवधि के लिए **20 करोड़ रुपये** का अनन्तिम बजट रखा गया हैं।
9.	**वाहनों का किराये पर लिया जाना**	
9.1	पी.एम.एम.एस.वाई के कार्यान्वयन के लिए मत्स्यपालन विभाग में वाहनों को किराए पर लिया जाना।	i. मत्स्यपालन विभाग, पी.एम.एम.एस.वाई के सुचारू रूप से क्रियान्वयन को सुगम बनाने के लिए परिचालन आवश्यकताओं के लिए मुख्यालय के साथ–साथ क्षेत्र में निजी वाहनों को किराए पर ले सकता है। ii. वाहनों को किराए पर लिए जाने की लागत वास्तविक के अनुसार होगी।
9.2	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों सहित अन्य एण्ड कार्यान्वयन एजेंसियां (अधिकतम)	i. मत्स्यपालन विभाग पी.एम.एम.एस.वाई के कार्यान्वयन के लिए जब और जैसे आवश्यक होगा किराये पर लिए जाने के लिए प्रत्येक राज्य को **5 लाख रूपये प्रति वर्ष** तथा **प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र/अन्य अन्तिम कार्यान्वयन एजेंसी को 2 लाख रुपये प्रति वर्ष** एकमुश्त अनुदान प्रदान करेगा।
10.	**दिशा–निर्देश, प्रकाशन, एसओपी और पीएमएमएसवाई से संबंधित अन्य दस्तावेजों का आवश्यकतानुसार डिजाइन और मुद्रण,**	
10.1	मत्स्य पालन विभाग (मत्स्यपालन विभाग), मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार	i. दिशानिर्देश, प्रकाशन, एसओपी, कार्य योजना, विजन दस्तावेज जो पी.एम. एम.एस.वाई के कार्यान्वयन के लिए जब और जैसे हो की डिजाइन और मुद्रण की लागत वास्तविकताओं के अनुसार होगी। ii. मत्स्यपालन विभाग इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को वार्षिक आधार पर समेकित निधियां प्रदान कर सकता है जो निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। iii. इस गतिविधि के लिए 5 वर्ष (2020–21 से 2024–25) की अवधि के लिए **10 करोड़ रूपये** का बजट रखा गया है।
10.2	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और अन्य एण्ड कार्यान्वयन एजेंसियां	i. मत्स्यपालन विभाग 2.50 लाख रुपये प्रति राज्य और 1.50 लाख रुपये प्रति वर्ष संघ राज्य क्षेत्र/अन्य ई.आई.ए को वार्षिक अनुदान प्रदान करेगा।

क्रम सं.	गतिविधियाँ / उप गतिविधियों	निबंधन और शर्तें
		ii. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/अन्य ई.आई.ए मुख्य रूप से इस गतिविधि के तहत प्रदान की गई केंद्रीय निधि का उपयोग पी.एम.एम.एस.वाई के परिचालन दिशानिर्देशों और पी.एम.एम.एस.वाई से संबंधित अन्य दस्तावेजों के अनुवाद के लिए करेंगे ताकि मछुआरे, मछली किसान, मछली विक्रेता और अन्य हितधारक इसका लाभ उठा सकें।
11	**आवधिक मूल्यांकन (मध्य अवधि) जब भी आवश्यक हो और तीसरे पक्षकार/स्वतंत्र एजेंसी/व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र विशेषज्ञों आदि के माध्यम से पी.एम.एम.एस.वाई के कार्यान्वयन मूल्यांकन (एण्ड–अवधि)।**	
11.1	मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार	i. पी.एम.एम.एस.वाई के अन्तर्गत पी.पी.पी. मोड़ के आधार पर अवसंरचना परियोजनाओं की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए आवधिक मूल्यांकन की लागत (मध्य अवधि), अध्ययन, कोई अन्य अध्ययन जो पी.एम.एम.एस.वाई के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित हो, तीसरे पक्षकार/स्वतंत्र एजेंसी/व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र विशेषज्ञों आदि के माध्यम से पी.एम.एम.एस.वाई का पोस्ट इंप्लीमेंटेशन मूल्यांकन की पूर्ति वास्तविकताओं के आधार पर मत्स्यपालन विभाग द्वारा की जाएगी। ii. मत्स्यपालन विभाग उपर्युक्त (i) में उल्लिखित अध्ययन शुरू करने के लिए राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को आवश्यक निधियां प्रदान कर सकेगा जो निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा iii. इस प्रयोजन के लिए 5 वर्ष (2020–21 से 2024–25) की अवधि के लिए **10 करोड़ रुपये** का समेकित बजट रखा गया है।
11.2	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सहित सहित अन्य कार्यान्वयन एजेंसियां।	i. अपने–अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पी.एम.एम.एस.वाई. योजना को लागू करने से संबंधित आवश्यकता आधारित मूल्यांकन आरंभ करने के लिए प्रत्येक राज्य को **5 लाख रूपये प्रतिवर्ष** तथा **प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र को 2.0 लाख रूपये प्रति वर्ष** एकमुश्त और एक बारगी केन्द्रीय अनुदान प्रदान किया जाएगा। ii. तथापि, इस प्रयोजन के लिए 5 वर्ष (2020–21 से 2024–25) की अवधि के लिए **10 करोड़ रुपये** का बजट रखा गया है।
12	**मत्स्यपालन क्षेत्र की गुणता नियंत्रण और विनियमन का समर्थन करने के लिए ऐसी गतिविधियाँ जिनका उद्देश्य गुणवत्ता उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देना है।**	
12.1	मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार	i. मत्स्यपालन क्षेत्र की गुणता नियंत्रण और विनियमन का समर्थन के लिए ऐसे गतिविधियां जिनका उद्देश्य गुणवत्ता, उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देना है, को आरंभ करने की लागत पी.एम.एम.एस.वाई के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य के लिए 5 लाख रूपये तथा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के लिए 2.5 लाख रूपये प्रति वर्ष तक सीमित होगी। यह अनुदान एक बारगी दिया जाएगा। मत्स्यपालन विभाग इस एक बारगी अनुदान देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संभाव्यता का मूल्यांकन करेगा। ii. मत्स्यपालन विभाग इस प्रयोजन के लिए एन.एफ.डी.बी को वार्षिक आधार पर समेकित निधि भी प्रदान कर सकता है जो निधियों की उपलब्धता के आधार पर निर्भर करेगा। iii. इस गतिविधि के लिए 5 वर्ष (2020–21 से 2024–25) की अवधि के लिए 5 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

क्रम सं.	गतिविधियाँ / उप गतिविधियों	निबंधन और शर्तें
13	**मत्स्यपालन विभाग में संविदा के आधार पर अधिकार क्षेत्र विशेषज्ञों और सहायक कर्मियों का नियुक्त किया जाना**	
13.1	मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार	i. आवश्यकता के अनुरूप, अधिकार क्षेत्र विशेषज्ञों की सेवाएं (जब और जैसे उत्पन्न होंगी) नितांत रूप से संविदा के आधार पर नियुक्त की जाएंगी। ii. सलाहकार, सीनियर कंसल्टेंट्स, जूनियर कंसल्टेंट्स जैसी आवश्यकता के अनुसार तकनीकी जनशक्ति मत्स्यपालन विभाग द्वारा नितांत रूप से संविदा के आधार पर नियुक्त की जाएंगी। iii. पी.एम.एम.एस.वाई योजना के अन्तर्गत जनशक्ति की नियुक्ति पी.एम.एम.एस.वाई योजना अवधि के साथ सह–टर्मिनस होगी। iv. पी.एम.एम.एस.वाई के अन्तर्गत कर्मियों की संविदा के आधार पर नियुक्ति मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार या इसके किसी भी अधीनस्थ संस्थानों / संगठनों में अपनी सेवाओं किसी नियमितीकरण या जारी रखने का अधिकार या दावा प्रदान नहीं करेगी। v. पी.एम.एम.एस.वाई योजना के कार्यान्वयन अवधि के दौरान उक्त जनशक्ति की नियुक्ति तथा सेवाओं का जारी रखा जाना कार्मिकों के संतोषप्रद कार्य–निष्पादन पर निर्भर करेगा और मत्स्यपालन विभाग बिना कोई कारण बताएं बिना चाहे जो भी कारण हो, किसी भी समय उनकी सेवाएं समाप्त कर सकेगा। vi. मत्स्यपालन विभाग पी.एम.एम.एस.वाई के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित अधिकार क्षेत्र विशेषज्ञों की आवश्यकता के अनुरूप राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड आवश्यक निधि भी प्रदान कर सकता है जो निधि की उपलब्धता के आधार पर निर्भर करेगा। vii. इस गतिविधि के लिए 5 वर्ष (2020–21 से 2024–25) के लिए कुल **5 करोड़ रुपये** बजट रखा गया है।
14	**विजन दस्तावेज वार्षिक योजना तैयार करना और राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी 5 वर्ष की भावी योजना, वार्षिक योजना, जिला मत्स्य पालन योजना आदि की तैयारी के लिए सहायता करना।**	
14.1	मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार	i. विजन डॉक्यूमेंट वार्षिक योजना तैयार करने से और पीएमएमएसवाई के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित किसी अन्य दस्तावेज तैयार करने की लागत मत्स्यपालन विभाग द्वारा वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर पूरी की जाएगी। ii. पी.एम.एम.एस.वाई के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित योजनाओं के निर्धारण करने और अपेक्षित दस्तावेज की तैयारी करने के लिए मत्स्यपालन विभाग द्वारा राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को आवश्यक निधियाँ प्रदान कर सकता है जो निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। iii. 4 करोड़ रुपये का समेकित बजट (2020–21 से 2024–25) 5 वर्ष की अवधि के लिए इस प्रयोजन के लिए रखा गया है।

<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>गतिविधियाँ / उप गतिविधियों</th><th>निबंधन और शर्तें</th></tr>
<tr><td>14.2</td><td>राज्य/संघ राज्य क्षेत्र</td><td>i. राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से इस संबंध में प्राप्त अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त होने के आधार पर मत्स्यपालन विभाग उनकी मत्स्यपालन की पंचवर्षीय भावी योजनाओं, वार्षिक योजनाओं, जिला मत्स्यपालन योजना आदि की तैयारी करने के लिए प्रत्येक राज्य का 10 लाख रुपये प्रति वर्ष तक प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र को 5 लाख रुपये प्रति वर्ष केन्द्रीय अनुदान प्रदान करेगा अतिरिक्त निधि यदि कोई अपेक्षित है जो ऊपर बताई गई सीमा से अधिक हो तो उसका वहन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाएगा।
ii. 5 वर्ष (2020–21 से 2024–25) की अवधि के लिए इस प्रयोजन के लिए 15 करोड़ रुपये रखे गए हैं।</td></tr>
<tr><td>15</td><td colspan="2">मत्स्य किसान दिवस, विश्व मात्स्यिकी दिवस और जरूरतों के अनुसार अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करना, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों मछुआरों, मछली किसानों, मछली कामगारों, मछली विक्रेताओं और मत्स्यपालन उद्यमियों आदि के लिए पुरस्कार सहित पुरस्कार संस्थापित करना।</td></tr>
<tr><td>15.1</td><td>मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार</td><td>i. सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/जिला, मछुआरों, मछली किसानों, मछली कामगारों मछली विक्रेताओं और मत्स्य पालन उद्यमियों आदि को पुरस्कृत करने सहित राष्ट्रीय स्तर पर मत्स्य किसान दिवस, विश्व मात्स्यिकी दिवस और अन्य कार्यक्रमों को मनाने की लागत मत्स्यपालन विभाग द्वारा वास्त्विकताओं के आधार पर पूर्ति की जाएगी।
ii. मत्स्यपालन विभाग ऊपर (i) में उल्लिखित कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को वार्षित आधार पर भी निधिया प्रदान कर सकता है।
iii. इस उद्देश्य के लिए 5 साल (2020–21 से 2024–25) की अवधि के लिए 15 करोड़ रुपये बजट के रुप में प्रावधान किया गया है।</td></tr>
<tr><td>15.2</td><td>राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और अन्य एण्ड कार्यान्वयन एजेंसियां</td><td>i. मत्स्यपालन विभाग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप मत्स्य किसान दिवस, विश्व मात्स्यिकी दिवस तथा अन्य कार्यक्रम समारोह मनाने के लिए प्रत्येक राज्य को 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष तथा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र को 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष केन्द्रीय अनुदान प्रदान कर सकेगा।
ii. मत्स्यपालन विभाग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार केन्द्रीय अनुदान की राशि बढ़ा सकता है जो कार्यक्रमों के आकार तथा उसके महत्व आदि पर निर्भर करती है।
iii. इस प्रयोजन के लिए पाँच वर्ष (2020–21 से 2024–25) की अवधि के लिए 25 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।</td></tr>
<tr><td>16.</td><td colspan="2">कोई अन्य गतिविधि जो पीएमएमएसवाई के संचालन तथा सुचारु रूप से कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित हो।
10 करोड़ रुपये के एक–मुश्त प्रावधान को अपेक्षित निधि के रूप में रखा गया है। मत्स्यपालन विभाग इस राशि का उपयोग किसी अप्रत्याशित गतिविधि की आवश्यकतानुसार शुरु करने के लिए कर सकेगा।</td></tr>
</table>

6. प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना

6.1 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेंसी जैसी एण्ड कार्यान्वयन एजेंसियां प्रशासनिक खर्च के अन्तर्गत केंद्रीय वित्तीय सहायता के लिए मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार को तीन प्रतियों में स्व अभिप्रमाणित प्रस्ताव (एससीपी) प्रस्तुत करेंगी। दो प्रतियों में निहित प्रस्ताव निम्नलिखित पते पर विभाग को प्रस्तुत किया जाएगाः

सेवा में
सचिव
मत्स्यपालन विभाग,
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय,
भारत सरकार
कमरा नंबर–221, कृषि भवन,
नई दिल्ली–110001

6.2 स्व–निहित प्रस्ताव प्रोजेक्ट में प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत ली जाने वाली प्रस्तावित मदों की विस्तृत मद–वार लागत अनुमान शामिल होगा। इस लागत अनुमान का निर्धारण इन दिशा निर्देशों में निहित व्यापक मानदण्डों के आधार पर किया जाएगा।

परिशिष्ट 1

राज्य कार्यक्रम इकाई (एस.पी.यू), जिला कार्यक्रम इकाई (डी.पी.यू) और उप-जिला स्तरीय संस्थागत व्यवस्थाओं के संचालन के लिए नामावली, जनशक्ति, पारिश्रमिक, भूमिका और संविदात्मक जनशक्ति की जिम्मेदारियों का विवरण

क्रम सं.	पदनाम	पदों की संख्या	समेकित पारिश्रमिक प्रति माह (रुपये)	भूमिका और जिम्मेदारियाँ
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
क	जिला कार्यक्रम इकाई (DPU)			
1	जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डी.पी.एम.)	1	45000.00	i. जिले में पी.एम.एम.एस.वाई के विवरण का प्रचार प्रसार करना। ii. जिला मत्स्यपालन कार्यालय/जिला प्रशासन/जिला स्तरीय समिति को वार्षिक आधार पर जिला मत्स्यपालन संबंधी विकास योजना तैयार करने में सहायता करना। iii. पी.एम.एम.एस.वाई के तहत जिले में आरंभ मत्स्यपालन विकास परियोजनाओं की निगरानी, मूल्यांकन, जिला मत्स्यपालन विकास योजना की मंजूरी के लिए जिला स्तरीय समिति (डी.एल.सी.) की सहायता करना। iv. सभी संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय करना और संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र कार्यक्रम इकाई/राज्य सरकार/केंद्रीय सरकार को यथास्थिति विनिर्दिष्ट एण्डरालों पर भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना। v. जहाँ कहीं भी संभव हो, जिलों में कार्यान्वित किए गए अन्य मत्स्यपालन सम्बन्धी कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ तालमेल करके मत्स्यपालन विकास आरंभ करने के लिए गतिविधियों को जिला मत्स्यपालन अधिकारी/ डीएलसी की सहायता करना। vi. स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कोई अन्य ड्यूटी/जिम्मेदारी जो जिला मत्स्यपालन अधिकारी और जिला प्रशासन और डीएलसी द्वारा सौंपी जाए।
2	कार्यालय और प्रशासनिक व्यय	प्रति माह एकमुश्त	10000.00	
	i. चरण–I में, डी.पी.यू की स्थापना के लिए कुल 150 संभावित जिलों को लिया जाएगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श करके मत्स्यपालन विभाग द्वारा संभावित जिलों की पहचान की जाएगी। ii. जिला कार्यक्रम इकाई (डी.पी.यू.) के संचालन के लिए डी.पी.यू. जैसी संविदात्मक जनशक्ति की सेवाओं को नियुक्त करने के लिए पात्रता मानदंड आदि को पी.एम.एम.एस.वाई के विस्तृत परिचालन दिशानिर्देशों के **अनुलग्नक–IX** में रखा गया है। इनका उल्लेख इन दिशा निर्देशों के **परिदिष्ट–2** में किया गया है।			

क्रम सं.	पदनाम	पदों की संख्या	समेकित पारिश्रमिक प्रति माह (रुपये)	भूमिका और जिम्मेदारियाँ
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
ख	उप–जिला कार्यक्रम इकाई (एस.डी.पी)			
1	उप–जिला कार्यक्रम प्रबंधक (एसडीपीएम	1	35000.00	उप–जिला कार्यक्रम इकाई (एस.डी.पी.यू.) नीचे दी गई गतिविधियों को शुरु करने में जिला कार्यक्रम इकाई (एस.डी.पी.) की सहायता करेगी: i. जिले में पी.एम.एम.एस.वाई. के विवरण का प्रचार–प्रसार करना। ii. वार्षिक आधार पर जिला मत्स्यपालन विकास योजना तैयार करना। iii. पी.एम.एम.एस.वाई. के अन्तर्गत जिले में आरंभ की गई मत्स्यपालन विकास परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन करना। iv. संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कार्यक्रम इकाई/राज्य सरकार/केंद्रीय सरकार को यथास्थिति नियमित अन्तराल पर नियमित रूप से भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना। v. जहाँ कहीं भी संभव हो, जिलों में कार्यान्वित अन्य मत्स्यपालन संबंधित कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ गतिविधियों में ताल मेल रखना। vi. कोई अन्य ड्यूटी/जिम्मेदारी जो स्थानीय जरूरतों के अनुसार डीएलसी द्वारा सौंपी जाए।
2	कार्यालय और प्रशासनिक व्यय	एकमुश्त प्रति माह	5000.00	
	i. एसडीपीयू की स्थापना बड़े और उच्च क्षमता वाले जिलों में आवश्यकता के आधार पर की जाएगी। ii. एसडीपीयू की स्थापना के लिए 50 उच्च क्षमता वाले जिलों को लिया जाएगा। iii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से मत्स्यपालन विभाग द्वारा ऐसे एसडीपीयू के लिए संभावित जिलों की पहचान की जाएगी। iv. एसडीपीयू की स्थापना 2 वर्ष बाद यानी 2021–22 से की जाएगी।			
ग	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र कार्यक्रम इकाइयाँ			
ग1	श्रेणी–क राज्य (9 समुद्री राज्य और असम सहित 12 एण्डर्देशीय राज्य)			
1	राज्य कार्यक्रम प्रबंधक (एसपीएम)	1	70000.00	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय कार्यक्रम इकाइयों की निम्नलिखित जिम्मेदारियां होंगी: i. राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में पी.एम.एम.एस.वाई. के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों में संबंधित राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन के साथ समन्वय करना।
	उप राज्य कार्यक्रम प्रबंधक*	1	55000.00	
2	राज्य डेटा सह एम.आई.एस. प्रबंधक	1	50000.00	

क्रम सं.	पदनाम	पदों की संख्या	समेकित पारिश्रमिक प्रति माह (रुपये)	भूमिका और जिम्मेदारियाँ
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
3	एमटीएस	1	15000.00	ii. एस.पी.यू. राज्य मत्स्यपालन विभाग, सभी जिला कार्यक्रम इकाइयों (डी.पी.यू.) के साथ समन्वय करेगी और मत्स्यपालन विभाग/एन.एफ.डी.बी. राज्य वार्षिक योजना और विजन डॉक्यूमेंट्स को समय पर समेकित और प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगी। iii. एस.पी.एफ. मत्स्यपालन विभाग/राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को निर्दिष्ट एण्डराल के अनुसार नियमित रूप से भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। iv. राज्य कार्यक्रम इकाई अनुदेशों के अनुसार भौतिक तथा वित्तीय प्रगति रिपोर्ट को अपलोड करने, राज्य में मत्स्यपालन की उपलब्धियों को समेकित करने तथा पी.एम.एम.एस.वाई. पोर्टल, एम.एस.आई. और डी.बी.टी. पोर्टल पर ऐसी रिपोर्टों को अपलोड करने के लिए जिम्मेदार होगी। v. राज्य कार्यक्रम इकाई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पी.एम.एम.एस.वाई. के कार्यान्वयन में प्रगति की नियमित रूप से निगरानी, समीक्षा और मूल्यांकन करने में राज्य सरकार की मदद करेगी और मत्स्यपालन विभाग/राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को रिपोर्टें प्रस्तुत करेगी। vi. राज्य कार्यक्रम इकाई पी.एम.एम.एस.वाई. के अन्तर्गत परिक्लपित उपलब्धियों और परिणामों के संबंध में राज्य विशिष्ट उपलब्ध आंकड़ों के संकलन में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की मदद करेगी। इसके अन्तर्गत मछली उत्पादन, उत्पादकता, रोजगार सृजन, पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान में कमी और अन्य, यदि कोई हो, भी शामिल है। vii. कोई अन्य भूमिका और जिम्मेदारी जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा और आवश्यकतानुसार मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा सौंपी जाए।
4	कार्यालय और प्रशासनिक व्यय	एकमुश्त प्रति माह	25000.00	
ग2	श्रेणी–ख: 7 पूर्वोत्तर राज्य			
1	राज्य कार्यक्रम प्रबंधक (एसपीएम)	1	70000.00	
2	स्टेट डाटा सह एम.आई.एस. प्रबंधक	1	50000.00	
3	एमटीएस	1	15000.00	
4	कार्यालय और प्रशासनिक व्यय	एकमुश्त प्रति माह	15000.00	
ग 2	श्रेणी–ग: 8 संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)			
1	राज्य कार्यक्रम प्रबंधक (एसपीएम)	1	70000.00	
2	एमटीएस	1	15000.00	
3	कार्यालय और प्रशासनिक व्यय	एकमुश्त प्रति माह	15000.00	

परिशिष्ट–2

पी.एम.एम.एस.वाई. योजना के अन्तर्गत मासिक कार्यालय व्यय सहित राज्य कार्यक्रम इकाई (एस.पी.यू)/संघ राज्य क्षेत्र कार्यक्रम इकाई (एस.टी.पी.यू.) जिला कार्यक्रम इकाई (डी.पी.यू) और उप जिला स्तरीय संस्थागत व्यवस्था को संचालित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नियुक्त की जाने वाली संविदात्मक जनशक्ति की पात्रता और अर्हता का विवरण

मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार एस.पी.यू./यू.टी.पी.यू. तथा डी.पी.यू. के लिए प्रत्येक राज्य में नियुक्त की जाने वाली संविदात्मक कर्मियों की संख्या तथा उन जिलों जिनमें डी.पी.यू. की स्थापना की जाएगी, की संख्या, कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करने की तारीख, जॉब विवरण आदि के संबंध में अलग से अनुदेश जारी करेगा।

क्रम सं	पदनाम	पदों की संख्या	समेकित पा. रिश्रमिक	अर्हताएं
I	II	III	IV	V
राज्य कार्यक्रम इकाई (एस.पी.यू.)/संघ राज्य क्षेत्र कार्यक्रम इकाई (यू.टी.पी.यू)				
1.	संविदात्मक जनशक्ति			
(i)	राज्य कार्यक्रम प्रबंधक (एस.पी. एम) / संघ राज्य क्षेत्र कार्यक्रम प्रबंधक (UT PM)	1 (एक)	70,000/रु. – प्रति माह तक (केवल सत्तर हजार रुपये)	**अनिवार्य:** मात्स्यिकी विज्ञान में स्नातकोत्तर/प्राणी विज्ञान में एम.एस.सी./समुद्री विज्ञान में एम.एस. सी./समुद्री जीव विज्ञान में एम.एस.पी./ मात्स्यिकी अर्थव्यवस्था/औद्योगिक मात्स्यिकी/मात्स्यिकी व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री। **वांछनीय:** (i) उपर्युक्त विषयों में डॉक्टरेट। (ii) प्रबंधन में डिग्री। कृषि व्यवसाय प्रबंधन के लिए अधिमान्यता दी जाएगी (i) सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी)/कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान **अनुभव:** क) राज्य कार्यक्रम प्रबंधक के संबंध में मात्स्यिकी और जलकृषि के किसी क्षेत्र में कम–से–कम 7 वर्ष का कार्य करने का अनुभव ख) उप राज्य कार्यक्रम प्रबंधक के संबंध में मात्स्यिकी और जलकृषि के किसी क्षेत्र में कम–से–कम 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव। **आयु:** 45 वर्ष से अधिक नहीं
(ii)	* उप राज्य कार्यक्रम प्रबंधक	1 (एक)	55000/– प्रति माह तक	

** लगभग 12 बड़े राज्यों जिनमें मत्स्यपालन की संभावनाएं बहुत अधिक हैं, उनमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आवश्यकताओं और प्रतिक्रियाओं के आंकलन के आधार पर यदि आवश्यक हुआ तो पी.एम.एम.एस.वाई. योजना के कार्यान्वयन के दूसर वर्ष से ही उपराज्य कार्यक्रम प्रबंधक की नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्ति मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही की जाएगी।*

क्रम सं	पदनाम	पदों की संख्या	समेकित पा. रिश्रमिक	अर्हताएं
I	II	III	IV	V
(iii)	राज्य डेटा सह एम.आई.एस. प्रबंधक (केवल राज्यों के लिए) **	1(एक)	55000/रु. तक – प्रति माह	**अनिवार्यः** क) सांख्यिकी/गणित/एम.एस.सी./एम.ए./मात्स्यिकी अर्थव्यवस्था में स्नातकोत्तर ख) सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी)/कंप्यूटर अनुप्रयोग में न्यूनतम डिप्लोमा। **अनुभवः** क) बड़े पैमाने पर डेटा प्रसंस्करण और प्रबंधन के क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव **आयुः** 45 वर्ष से अधिक नहीं
*** संघ राज्य क्षेत्रों के लिए डेटा सह एम.आई.एस. प्रबंधक की नियुक्ति की परिकल्पना नहीं की गई है।*				
(iv)	मल्टी टास्किंग स्टाफ (एम.टी.एस)	1 (एक)	15000/– रु. प्रति माह	**अनिवार्यः** दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की हों। **आयुः** 35 वर्ष से अधिक नहीं
2.	एस.पी.यू./यू.टी.पी.यू. के लिए कार्यालय व्यय	एक मुश्त	25000/– रु. प्रति माह	...
जिला कार्यक्रम इकाई (डी.पी.यू.) (मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा संसूचित किए जाने वाले चयनित जिलों में)				
1.	**संविदात्मक जनशक्ति**			
(i)	जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डी.पी.एम.)	एक (1)	45000/रु. तक – प्रति माह	**अनिवार्यः** क) मात्स्यिकी विज्ञान में स्नातकोत्तर/प्राणिविज्ञान में एम.एस.सी./समुद्री विज्ञान में एम.एस.सी./समुद्री जीव विज्ञान में एम.एस.सी./मात्स्यिकी अर्थव्यवस्था/प्रबंधन में स्नातकोत्तर। ख) सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी)/कंप्यूटर अनुप्रयोग में न्यूनतम डिप्लोमा। **वांछनीयः** प्रबंधन में कोई डिग्री। कृषि व्यवसाय प्रबंधन के लिए अधिमानता दी जाएगी। **आयुः** 35 वर्ष से अधिक नहीं **अनुभवः** मात्स्यिकी विज्ञान और जलकृषि किसी क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का कार्य करने का अनुभव।
2.	डी.पी.यू. के लिए कार्यालय व्यय	एक मुश्त	10000/– रु. प्रति माह	

क्रम सं	पदनाम	पदों की संख्या	समेकित पा. रिश्रमिक	अर्हताएं
I	II	III	IV	V
उप–जिला स्तर पर संस्थागत व्यवस्था (उप–जिला कार्यक्रम इकाई (एस.डी.पी.यू.) मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा कुछ अत्यधिक मत्स्यपालन संभावित जिलों में पी.एम.एम.एस.वाई. के कार्यान्वयन के दूसरे वर्ष से ही मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा किए गए आंकलन की आवश्यकताओं के अनुसार, उप–जिला स्तर पर पी.एम.एम.एस.वाई. के अन्तर्गत संस्थागत संरचनाओं की स्थापना पर विचार किया जाएगा जिसमें उन जिलों में पी.एम.एम.एस.वाई. या केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की किसी अन्य योजना दोनों के अन्तर्गत मत्स्यपालन विकास के लिए आरंभ की गई पहल भी शामिल है साथ ही साथ, उप–जिला स्तर पर संस्थागत व्यवस्थाओं को उप–जिला कार्यक्रम इकाई (एस.डी.पी.यू.) कहा जाएगा।				
1.	**संविदात्मक जनशक्ति**			
(ii)	उप–जिला कार्यक्रम प्रबंधक (एस.डी.पी.एम)	1 (एक)	35000/– रु. प्रति माह	**अनिवार्यः** क) मात्स्यिकी विज्ञान में स्नातक/प्राणिविज्ञान में एम.एस.सी./समुद्री विज्ञान में एम.एस.सी./समुद्री जीव विज्ञान में एम.एस.सी.। ख) आई.टी./कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान **आयुः** 35 वर्ष से अधिक नहीं **अनुभवः** मात्स्यिकी विज्ञान और जलकृषि किसी क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष कार्य करने का अनुभव
2.	एस.डी.पी.यू. के लिए कार्यालय व्यय	एक मुश्त	5000/– रु. प्रति माह	

भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग